



INDIA  
 100 RUPEES  
 INDIA  
 100 RUPEES



0.5  
 1  
 1.500

नमस्कार मित्रों! दिनांक 2/3/19 को उपनिष्ठाधिकारी केरकर  
 जौनपुर बाढ़ से बचा गया था 914360 500 518 द्वारा 80 रुपयों का  
 2006 मोबा रेहटी परमाणु ब्याजगी पहली बार केरकर बनपद  
 जौनपुर सुनील कुमार सिंह बनाम गांधीभा लॉ के. 2/3/19 !

C.N. 91  
 2/3/19



लाभ  
 नमस्कार  
 शशा प्रदी  
 अरुण



**आदेश पत्रक**

**न्यायालय : उपजिलाधिकारी**  
**मण्डल : वाराणसी, जलपद : जौनपुर, तहसील : कैराकत**  
**वाद संख्या :- 00518/2019**  
**कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T201914360500518**  
**सनीत कुमार सिंह बनाम रामप्रधान**  
**अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006**

**आदेश**

प्रस्तुत वाद नीलकण्ठ एजूकेशनल फाउण्डेशन उमरपुर हरिबन्धानपुर, जौनपुर जरिये मुख्य न्यायी सुनीत कुमार सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह साकिन मौजा- उमरपुर हरिबन्धानपुर, तहसील-सदर, जलपद-जौनपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2019 के आधार पर लखित किया गया।

वाद पत्र में वादी नीलकण्ठ एजूकेशनल फाउण्डेशन उमरपुर हरिबन्धानपुर, जौनपुर जरिये मुख्य न्यायी सुनीत कुमार सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह साकिन मौजा- उमरपुर हरिबन्धानपुर, तहसील-सदर, जलपद-जौनपुर ने प्रार्थना मौजा- रेहटी, परगना-बयालसी, तहसील-कैराकत, जलपद-जौनपुर एवं उ०प्र० सरकार जरिये कलेक्टर, जौनपुर को पत्राक्षर मुकदमा बनाते हुए लखित किया गया है कि वादी आराजी निजार्ई 1298/0.1250हे०, 1310नि०/0.4945हे०, 1309/0.061हे०, 1239/0.2630हे० स्थित ग्राम-रेहटी, परगना-बयालसी, तहसील-कैराकत, जिला-जौनपुर को अकुषिक घोषित करते हुए वाद दाखिल किया, वाद निर्विवाद है कि वादी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र में किसी भी छातेदार को कोई आपत्ति नहीं है वादी के रकबे 0.1250हे०, 0.4945हे०, 0.061 हे० 0.2630हे०, अकुषिक घोषित होने में कोई विधिक अडचन नहीं है। वादी द्वारा भालान न० 3 द्वारा मु० 80346/- संपदा जमा करके एवं भारतीय कोर्ट की सं० 609826 लगावत 606841 यात्री 16 भारतीय कोर्ट की मु० 80,000/- के साथ 272559 ल० 272551 यात्री 300 रु० संलग्न है।

वादी के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में तहसीलदार कैराकत से जांच आख्या चाही गई। जिसके स्पष्ट होता है कि वादी अपने हिस्से को 0.1460 हे० पर पण्डा मयन, सहन बनारस वर कुषि प्रयोजन में उपयोग कर रहा है। जिसे आयातीय अकुषिक घोषित किये जाने योग्य है।

पत्राक्षरी में उपलब्ध साक्ष्य व न्याय तहसीलदार कैराकत की जांच आख्या दिनांक 23.02.2019 का अवलोकन व परिशीलन गरी शीति किया। तदनुसार आदेश निर्गत किये जाने में कोई विधिक अडचन नहीं है।

**आदेश**

अतः आदेश दिया जाता है कि नीलकण्ठ एजूकेशनल फाउण्डेशन उमरपुर हरिबन्धानपुर, जौनपुर जरिये मुख्य न्यायी सुनीत कुमार सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह साकिन मौजा- उमरपुर हरिबन्धानपुर, तहसील-सदर, जलपद-जौनपुर आराजी निजार्ई 1298/0.1250हे०, 1239/0.2630हे०, 1310नि०/0.4945हे०, 1309/0.061हे० स्थित ग्राम-रेहटी, परगना-बयालसी, तहसील-कैराकत, जिला-जौनपुर को अकुषिक घोषित करते हुए भू०रा० से अवमुक्त किया जाता है। तदनुसार परताना जारी हो। वाद आदेश अनुपालन आवश्यक कार्यवाही पत्राक्षरी दाखिल दफतरी हो।

*(आयुष कुमार साधरी) 23/19*  
उपजिलाधिकारी  
कैराकत, जौनपुर।

अर्थ का पत्र दिनांक 9/ 2/3/19  
मु० 14-00  
द्वितीये की की० 2/3/19  
जो पत्रे के अंतर्गत 2/3/19  
जौनपुर के अंतर्गत -10 द्वारा जारी  
अकुषिक जरिये 150



सत्य प्रतिनिधि  
23/08/2019  
सिपायदार  
उपर निरक्षरिका  
सिपायदार